न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 354 / 2024

अनवान : –

1. नरेश महर्षि पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. विकास महर्षि पुत्र विनोद महर्षि जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर

– वादीगण

बनाम्

1. सुनील महर्षि पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. शशी देवी पुत्री महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. बसन्त शर्मा पुत्री कमला जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. माया पुत्री कमला जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. इन्द्रा देवी पत्नी विनोद महर्षि जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. कंचन महर्षि पुत्री विनोद महर्षि जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. रूचिका पुत्री विनोद महर्षि जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
8. पूजा पुत्री विनोद महर्षि जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
9. रविकान्त शर्मा पुत्र सरोज देवी पुत्री महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
10. मोनिका पुत्री सरोज देवी पुत्री महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
11. प्रियंका शर्मा पुत्री सरोज देवी पुत्री महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
12. श्रीकान्त शर्मा पुत्र सरोज देवी पुत्री महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त० अधि० 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 20/5/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 586 / 592 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 21.8340 है० भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 प्रत्येक का 3133 / 50946 हिस्सा, वादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 प्रत्येक का 3133 / 254730 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 प्रत्येक का 3133 / 208784 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा भूकरका के खाता संख्या 64 / 65 के खसरा नं. 509 की कुल तादादी 15.7450 है० भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 प्रत्येक का 321 / 22043 हिस्सा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:15:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 प्रत्येक का 221/110215 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 प्रत्येक का 221/88172 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो कि वादी संख्या 1 की बहिने व वादी संख्या 2 की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपने भाईयो व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 6 ता 8 जो कि वादी संख्या 2 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 9 ता 12 वादी संख्या 1 की मृतक बहिन सरोज के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज सदस्यों के समक्ष अपने मामा व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 586/592 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 21.4340 है0 भूमि में से वादी संख्या 1 पहले से दर्ज सहित 1871/21834 हिस्सा भूमि पर काबिज है तथा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 पहले से दर्ज सहित संयुक्त रूप से 3384/21834 हिस्सा भूमि पर काबिज है एवं प्रतिवादी संख्या 1 पहले से दर्ज सहित 4144/21834 हिस्सा भूमि पर काबिज है तथा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 664/665 की कुल तादादी 15.7450 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 एवं 9 ता 12 के नाम दर्ज भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 1 काबिज है तथा 1/3 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है एवं शेष 1/3 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 के नाम दर्ज भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के [illegible] 12 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश [illegible] किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:15:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

13 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र विनोद महर्षि, मृत्यु प्रमाण पत्र सरोज आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 तथा प्रतिवादीया संख्या 6 ता 8 एवं प्रतिवादीया संख्या 9 ता 12 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 586/592 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 21.8340 है० भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 प्रत्येक का 3133/50946 हिस्सा, वादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 प्रत्येक का 3133/254730 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 प्रत्येक का 3133/208784 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा भूकरका के खाता संख्या 664/665 के खसरा नं. 509 की कुल तादादी 15.7450 है० भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 प्रत्येक का 221/22043 हिस्सा, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 प्रत्येक का 221/110215 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 प्रत्येक का 221/88172 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार मृतक विनोद व सरोज के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 तथा प्रतिवादीया संख्या 6 ता 8 एवं प्रतिवादीया संख्या 9 ता 12 ने उक्त वाद भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:15:56 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 586/592 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 21.8340 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 एवं 6 ता 12 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 के पहले से दर्ज सहित 1871/21834 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी संख्या 2 व प्रतिवादीया संख्या 5 के पहले दर्ज सहित संयुक्त रूप से 3384/21834 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पहले से दर्ज सहित 4144/21834 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 664/665 की कुल तादादी 15.7450 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 एवं 9 ता 12 का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 तथा 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 तथा शेष 1/3 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व में दर्ज हिस्से में भी वादी संख्या संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 की वल्दीयत पुत्र कमला की बजाये पुत्र महावीर प्रसाद दर्ज किया जाता है एवं प्रतिवादीया संख्या 5 का नाम इन्द्रा देवी पुत्री महावीर प्रसाद की बजाये महावीर प्रसाद हटाया जाकर पत्नी विनोद महर्षि मुताबिक शीर्षक दर्ज किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:15:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 354 / 2024

अनवान : –

1. नरेश महर्षि पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. विकास महर्षि पुत्र विनोद महर्षि जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर

– वादीगण

बनाम्

1. सुनील महर्षि पुत्र महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. शशी देवी पुत्री महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
3. बसन्त शर्मा पुत्री कमला जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
4. माया पुत्री कमला जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. इन्द्रा देवी पत्नी विनोद महर्षि जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
6. कंचन महर्षि पुत्री विनोद महर्षि जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
7. रूचिका पुत्री विनोद महर्षि जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
8. पूजा पुत्री विनोद महर्षि जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
9. रविकान्त शर्मा पुत्र सरोज देवी पुत्री महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
10. मोनिका पुत्री सरोज देवी पुत्री महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
11. प्रियंका शर्मा पुत्री सरोज देवी पुत्री महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
12. श्रीकान्त शर्मा पुत्र सरोज देवी पुत्री महावीर प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी भूकरका तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 354 सन 2024 निर्णय दिनांक – 20/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 586 / 592 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 21.8340 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 एवं 6 ता 12 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 के पहले से दर्ज सहित 1871 / 21834 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी संख्या 2 व प्रतिवादीया संख्या 5 के पहले दर्ज सहित संयुक्त रूप से 3384 / 21834 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पहले से दर्ज सहित 4144 / 21834 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 664 / 665 की कुल तादादी 15.7450 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 एवं 9 ता 12 का नाम कलमजन किया जाकर 1 / 3 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 तथा 1 / 3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 तथा शेष 1 / 3 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व में दर्ज हिस्से में भी वादी संख्या संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 की वल्दीयत पुत्र कमला की बजाये पुत्र महावीर प्रसाद दर्ज किया जाता है एवं प्रतिवादीया संख्या 5 का नाम इन्द्रा देवी पुत्री महावीर प्रसाद की बजाये महावीर प्रसाद हटाया जाकर पत्नी विनोद महर्षि मुताबिक शीर्षक दर्ज किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/5/24 [illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:15:56 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर